

झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग

कालीनगर, चायबगान, नामकोम, राँची-834010

संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा- 2016 (विज्ञापन संख्या- 21/2016)

आवश्यक सूचना

दिनांक-20.09.2023

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के पत्रांक-3250, दिनांक-21.12.2022 से प्राप्त निदेश के आलोक में स्नातक शिक्षक हेतु संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा-2016 अन्तर्गत प्राच्य भाषा के शिक्षकों की नियुक्ति संबंधित नियुक्ति नियमावली में निर्धारित शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक योग्यता के अनुरूप ही की जानी है। इस संदर्भ में सिविल अपील संख्या-152/2022 में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिनांक-20.01.2022 को पारित आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि विज्ञापन एवं नियमावली में विरोधाभाष की स्थिति में नियमावली के प्रावधान के अनुरूप ही कार्यवाई मान्य होगी।

झारखण्ड सरकारी माध्यमिक विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली, 2015 के अध्याय-06 कण्डिका-9(I)(i) में अंकित शर्तों के अनुरूप स्नातक शिक्षक हेतु संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा-2016 अन्तर्गत फारसी एवं अरबी विषय के निम्नलिखित अभ्यर्थी से फारसी/अरबी विषय में स्नातक (अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए 40 प्रतिशत एवं अन्य कोटि के लिए 45 प्रतिशत सहित) के साथ-साथ स्नातकोत्तर/फाजिल (फारसी/अरबी) का मूल प्रमाण पत्र वांछित है:-

Subject-Farsi

Roll No:-11117115449, 12115130769, 13119134189, 16112163897, 19132194173, 24119216685.
(Total-06)

Subject-Arbi

Roll No:- 11124120513, 22121210299. (Total-02)

अतः आप दिनांक -26.09.2023 के मध्याह्न 12.00 बजे वांछित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के साथ उक्त प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्राणित छायाप्रति आयोग कार्यालय में उपस्थित होकर समर्पित करना सुनिश्चित करें। वांछित प्रमाण पत्र विहित अवधि में समर्पित नहीं करने की स्थिति में आयोग द्वारा प्रशासी विभाग के निदेशानुसार/नियमानुसार निर्णय लिया जायेगा।

ह0/-
परीक्षा नियंत्रक।